581

[2022] 8 एस. सी. आर 581

ए.

आय कर के सहायक आयोग (छूट)

बनाम

अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण मिसेलेनियस आवेदन सं। 2022 का 1849 आई. एन.

बी.

(2017 की सिविल अपील संख्या 21762) नवंबर 03,2022

सी.

[उदय उमेश ललित**,** सी**.** मुख्य न्यायाधीश एस**.** रवींद्र भाट और पमिदिघांतम श्री नरसिम्हा**,** जे**.** जे**.]**

आय कर अधिनियम, 1961:धारा 2 (15)-राजस्व ने दिनांकित 19.10.2022 के निर्णय का स्पष्टीकरण मांगा-उक्त निर्णय में धारा 2 की व्याख्या पर विचार किया गया।2(15) धर्मार्थ न्यासों के संबंध में जो ऐसी गतिविधियों में संलग्न होते हैं जो सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हैं-राजस्व की ओर से यह आग्रह किया गया था कि पैरा 253 एच और पैरा 254 में, इन अपीलों में निर्धारिती के संबंध में तथ्यों की जांच करने और संबंधित मूल्यांकन वर्षों का आकलन करने से रोक दिया गया था-आयोजितःपैरा 253 (ए) (बी) (सी) (डी) और (ई) में अभिलिखित निष्कर्षों को सरलता से पढ़ने से यह पता चलता है कि इस न्यायालय ने विभिन्न संगठनों के लिए मुद्दों पर अंत में निर्णय लेने के इरादे से अपने निष्कर्षों को सचेत रूप से अभिलिखित किया है-प्रश्नगत मूल्यांकन वर्षों के संबंध में, जबकि पैरा 253 (एफ) में, न्यायालय ने मामले को मूल्यांकन अधिकारी द्वारा जांच और आदेशों के लिए प्रेषित किया-इसी तरह, पैरा 253 जी में निष्कर्ष, निजी न्यासों के दावे के संबंध में निर्णायक था; अपीलों को खारिज कर दिया गया था-इसलिए इस न्यायालय के फैसले द्वारा घोषित कानून के आवेदन के संदर्भ को इस संदर्भ में समझना होगा, जो कि वे प्रश्नगत मूल्यांकन वर्षों के लिए लागू होते हैं, जो इस न्यायालय के समक्ष थे और थे।

डी.

ई.

एफ.

जी.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2022 का विविध अनुप्रयोग No.1849।2017 की सिविल अपील No.21762 में।

एच.

581

582

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 8 एस सी आर।

ए.

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 2017 के सी. ए. No.21762 में दिनांकित 19.10.2022 निर्णय और आदेश से।

एन. वेंकटरमन, एएसजी, रुपेश कुमार, सुश्री गार्गी खन्ना, सुश्री अलका अग्रवाल, वी. चंद्रशेखर भारती, सुश्री अमृता, राज बहादुर यादव, जसमीत सिंह, सैफ अली, पुष्पेंद्र एस. भदौरिया, दिवजोत सिंह भाटिया, सुश्री रुषित सलूजा, सुश्री ममता चक्रवर्ती, श्रीमती अनिल कटियार, ऋषभ संचेती, के. परिवेंधन, सुश्री दीपानविता प्रियंका, अधिवक्तागण उपस्थित दलों के लिए।

बी.

न्यायालय का आदेश पारित किया गया था

एस. रवींद्र भट्ट, न्याय०

सी.

1. इस आवेदन के माध्यम से, राजस्व सीए 21762/2017 और संबंधित अपीलों में इस न्यायालय द्वारा दिए गए दिनांकित 19.10.2022 के फैसले का स्पष्टीकरण चाहता है। स्पष्टीकरण मांगा गया है कि अनुच्छेद 254

निर्णय ऐसा होना चाहिए जिससे "राजस्व अतीत के उपरोक्त निर्णयों के अनुसार मूल्यांकन को फिर से कर सके और भविष्य के लिए वार्षिक आधार पर पात्रता की जांच कर सके और इस प्रकार न्याय प्रदान कर सके।"

डी.

2. इस न्यायालय ने, विचाराधीन निर्णय द्वारा, धर्मार्थ न्यासों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 (15) की व्याख्या पर विचार किया था और फैसला सुनाया था, जो उन गतिविधियों में संलग्न हैं जो सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्यों को आगे बढ़ाती हैं। वैधानिक निगमों और निकायों, नियामक निकायों, गैर-वैधानिक नियामक निकायों, व्यापार

संगठनों और निकायों, खेल निकायों और संगठनों, ट्रस्टों आदि सहित विभिन्न प्रकार के दान, न्यासों और संगठनों की गतिविधियों और मामलों पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया और निर्णय में निपटा गया।पैरा 253 में ऐसे प्रत्येक न्यास, दान या संगठन के संबंध में न्यायालय के निष्कर्षों का सारांश दर्ज किया गया है।

ई.

एफ.

3. राजस्व की ओर से यह आग्रह किया गया था कि वह जो स्पष्टीकरण चाहता है वह आवश्यक है, क्योंकि पैरा 253 एच और पैरा 254 में, इन अपीलों में निर्धारिती के संबंध में तथ्यों की जांच करने और संबंधित मूल्यांकन वर्षों का आकलन करने से रोक दिया गया है।यह आग्रह किया गया कि निर्णय में दर्ज किए गए निष्कर्ष और उक्त दो पैराग्राफ में दिए गए निष्कर्ष, इसे इस न्यायालय के समक्ष पक्षों के आकलन से निपटने से रोकते हैं और इसके अलावा, राजस्व की अपीलों को खारिज करने से भविष्य में भी इन निर्धारकों के गुण-दोष की जांच करने में बाधा आएगी।

जी.

एच.

583

एएसएसटीटी। COMMNR। आय कर (छूट) v.

अहमदाबाद अर्बन देव। प्राधिकरण [एस. रवींद्र भाट, जे.]

ए.

4. पैरा 253 (ए) (बी) (सी) (डी) और (ई) में अभिलिखित निष्कर्षों के एक सादे पठन से पता चलता है कि इस न्यायालय ने विभिन्न संगठनों के लिए मुद्दों पर अंतिम निर्णय लेने के इरादे से अपने निष्कर्षों को जानबूझकर दर्ज किया-जबकि पैरा 253 (एफ) में, न्यायालय ने मामले को मूल्यांकन अधिकारी द्वारा जांच और आदेश के लिए भेज दिया।इसी तरह, पैरा 253 जी में निष्कर्ष, निजी न्यासों के दावे के संबंध में निर्णायक था; अपीलों को खारिज कर दिया गया।ये निष्कर्ष पैरा 254 में अंतिम, सक्रिय दिशाओं में सटीक रूप से प्रतिबिंबित होते हैं। अनुच्छेद 254 (i) से (iv) में दर्ज किए गए निष्कर्ष राजस्व के खिलाफ हैं।तथापि, पैरा 254 (v), (vi), (vii) और (vii) में निष्कर्ष राजस्व के पक्ष में हैं।

बी.

सी.

5. इसलिए, इस न्यायालय के निर्णय द्वारा घोषित कानून के अनुप्रयोग के संदर्भ को इस संदर्भ में समझना होगा कि वे प्रश्नगत मूल्यांकन वर्षों के लिए आवेदन करते हैं, जो इस न्यायालय के समक्ष

थे और जिन पर निर्णय लिया गया था; जहां भी राजस्व के खिलाफ अपीलों का निर्णय लिया गया था, उन्हें अंतिम माना जाना चाहिए।हालाँकि, भविष्य के आवेदन के संदर्भ को इस संदर्भ में समझना होगा, जो यह है कि जिन मूल्यांकन वर्षों के लिए इस न्यायालय को निर्णय लेने के लिए नहीं बुलाया गया था, संबंधित अधिकारी निर्णय में घोषित कानून को लागू करेंगे, ऐसे प्रत्येक मूल्यांकन वर्ष के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए।इस चर्चा को देखते हुए, आगे किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता या आवश्यकता नहीं है।

डी.

6. 2022 के आवेदन एम. ए. सं. 1849 का उपरोक्त शर्तों में निपटारा किया जाता है।

ई.

देविका गुजराल

विविध आवेदन का निपटारा किया गया।

(सहायकः शेवाली मोंगा, एलसीआरए)

एफ.

जी.

एच.